संख्या-289/2018/2574/22-2-2017-17(356)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थू सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी जनपद-बदायूं की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34197/प्रोबे0-5-दयायाचिका/946 दिनांक 20-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नत्थू सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी ग्राम-लड़ौरी, थाना-इस्लामनगर, जनपद-बदायूं का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 06.05.2001 को 03 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचें, पौनिया, चाकू व तबल से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-965/2002 तथा 21/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं के आदेश दिनांक 07.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वा०रा योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2008 द्वारा उक्त दण्ड को यथावत रखा गया है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं बन्दी द्वारा दिनांक 06.01.2017 तक 11 वर्ष 08 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 06 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नत्थू सिंह (बन्दी संख्या-40635) पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी जनपद-बदायूं की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-289/2018/2574(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in